न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08/2017

1. मोहनलाल
2. सोहनलाल
3. साजनराम

पिसरान गणपत जाति ब्राहमण निवासी भादवावाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुलतानसिंह पुत्र किसनसिंह
2. अजीतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. महावीरसिंह पुत्र किशनसिंह

जाति राजपूत निवासीगण 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।

–– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर दिनांक 31.01.2017

उपस्थितिः–

श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण ।
श्री अजय तनेजा अभिभाषक रेस्पो.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 16.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251क के तहत पेश कर निवेदन किया कि उन्हें अपनी भूमि चक 70 आरबी के मु.न. 45 प.न. 204/278 की 3.162 है0 भूमि में जाने के लिए इसी चक के मु.न. 44 प.न. 205/278 के कि.न. 21 से 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मु.न. 44 के कि.न. 5 से 25 तक

16/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खाला है तथा कि.न. 1 से 21 तक रेल्वे लाईन है तथा कि.न. 1 से 21 तक सड़क निकली हुई है। अप्रार्थीगण की जमीन में पहले से खाला व रेलवे लाईन तथा सड़क में आ चुकी है। यदि अब रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण को खाला के पूर्व साईड मु.न. 14, 28, 29, 45, 46 में से भी रास्ता दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मु.न. 44 के कि.न. 21 से 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप जबाव प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के भूमि में पहले से खाला, रेलवे लाईन एवं सड़क है। अधी.न्यायालय में अपीलांट ने इस तथ्य को जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया था एवं वैकल्पिक रास्ता भी बताया था, किन्तु अधी.न्यायालय ने उस पर कोई विचार किये बिना ही रास्ता स्वीकृत कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था जिसके लिए रेस्पो. ने अधी. न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका जबाव अपीलांट ने पेश किया। अपीलांट ने वैकल्पिक रास्ता सुझाया है न कि बताया है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाने के आदेश दिये है जिससे अपीलांट को हुए नुकसान की भरपाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

16/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अपीलांट उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधी.न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृति का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय की पत्रावली में यह कहीं भी विवेचित नहीं हुआ है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. को कहां व किस रूप में रास्ता की आवश्यकता है तथा आदेश में यह अंकित करना कि सुविधाजनक रास्ता के रूप में रास्ता की स्वीकृति दी गई है जबकि रा.का.अ. की धारा 251ए एवं उसकी क्रियान्वति हेतु बने नियमों में सुविधाजनक रास्ता के बजाये निहायत आवश्यक होने पर ही रास्ता स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। इसके अलावा अधी. न्यायालय में अपीलांट ने जो जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह अंकित किया कि अपीलांट के भूमि में पूर्व से खाला, रेलवे लाईन , सड़क है एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिस के बारे में अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृति करने के आदेश दिये गये है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में उसके बराबर भूमि दिये जाने के आदेश दिये गये है जबकि नियमों में भूमि बराबर के बजाये डीएलसी की दर तथा इस दर से बनने वाली भूमि के बराबर भूमि दी जा सकती है। इस प्रकार अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना एवं अपीलांट के भूमि में पूर्व से खाला, रेलवे लाईन एवं सड़क होने के तथ्य को एवं वैकल्पिक रास्ता को दृष्टिगत रखे बिना रास्ता स्वीकृत किया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर